मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त, 2024 को आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 14 अगस्त, 2024 को अपराह्न 4:00 बजे मुख्य सचिव कार्यालय के सभागार में आहूत की गई। बैठक की सूचना यू.एल.एम.एम.सी. के पत्रांक–199/08/ULMMC/2024-25 दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से उक्त बैठक हेतु नोटिस के रूप में ससमय प्रेषित किया गया था। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1	श्री रमेश कुमार सुधांशु	प्रमुख सचिव, वन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
2	श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम	सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3	श्री नितेश कुमार झा	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4	श्री आर. राजेश कुमार	सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5	श्री विनोद कुमार सुमन	सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	उपाध्यक्ष
6	श्री आनन्द स्वरूप	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन/अपर महानिदेशक, यू.एल.एम.एम.सी.।	सदस्य सचिव
7	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।	आमंत्री
8	डॉ0 अहमद इकबाल	अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	–
9	श्री विनीत कुमार	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	–
10	सुश्री गरिमा रौंकली	अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	–
11	डॉ0 शान्तनु सरकार	निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी, देहरादून।	–
12	डॉ0 एल.एन. मिश्रा	अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून।	–

सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा मुख्य सचिव /अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति ,उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुये मुख्य सचिव की अनुमति से बैठक आरम्भ करायी गयी । तत्पश्चात यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज के अनुसार कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक हेतु आवश्यक गणपूर्ति (कोरम)/सदस्यों की संख्या पर्याप्त है । बैठक एजेण्डा निम्न प्रकार है:–

एजेण्डा संख्या–1:

यू.एल.एम.एम.सी. के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय (Governing Body) व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधनों पर विचार–विमर्श।

एजेण्डा संख्या–2:

यू.एल.एम.एम.सी. में प्रथम चरण हेतू स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष रिक्त शेष पदों के सापेक्ष वेतन/मानदेय के ढांचे पर पर विचार–विमर्श।

एजेण्डा संख्या–3:

अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु।

कार्यवृत्त

बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण करने हेतु निदेशक, यू.एल.एम. एम.सी. को निर्देशित किया गया।

निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा सर्वप्रथम यू.एल.एम.एम.सी. के मूल उद्देश्यों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तदोपरान्त संस्थान द्वारा किये गये कार्यों एवं गतिमान कार्यों से संक्षेप में अवगत कराया गया।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा की जा रही निम्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया:–

1. Landslide Information Database – राज्य में चारधाम यात्रा मार्गों से संबंधित भूस्खलन की एटलस, जिलावार भूस्खलन संबंधी आँकड़ों का डेटाबेस, जिलावार भूस्खलन संवेदनशील स्थलों की मैपिंग तैयार करना आदि।
2. Landslide Hazard and Risk Assessment of Major Townships – राज्य में 05 नगर (अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल एवं उत्तरकाशी का लिडार सर्वेक्षण तथा प्रमुख नगरों का जियो–इन्वेस्टिगेशन करना, जिसमें से नैनीताल में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
3. Landslide Site Investigation – यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा राज्य में विगत 01 वर्ष में 60 से अधिक भूस्खलन संबंधी स्थलों का निरीक्षण किया गया है।
4. Mitigation Measures, Monitoring and Supervision – यू.एल.एम.एम.सी. को विभिन्न भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं हेतु PMC के रूप में नामित किया गया है। जैसे– गोपेश्वर एवं हल्दापानी (चमोली), इलधारा (पिथौरागढ), बलियानाला (नैनीताल), गलोगी (मसूरी)। इसके अतिरिक्त नैनापीक (नैनीताल), मंसादेवी (हरिद्वार), बहुगुणानगर (चमोली) संबंधी भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
5. DPR Evaluation and Preparation – यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा एस.डी.एम.एफ. के अन्तर्गत प्राप्त कुल 226 डी.पी.आर. का परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु यू.एस.डी.एम.ए./आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यू.एल.एम.एम.सी. के स्तर पर भूस्खलन न्यूनीकरण परियोजनाओं संबंधी डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

निर्देश:–

1. आगामी समय में यू.एल.एम.एम.सी. अपनी क्षमताओं के अनुसार रेखीय विभाग जैसे– लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर उनकी परियोजनाओं की डी.पी.आर. निर्माण के कार्य यू.एल.एम.एम.सी. के स्तर पर ही करें।

एजेण्डा संख्या–1:

यू.एल.एम.एम.सी. के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय (Governing Body) व कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधनों पर विचार–विमर्श।

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय (Governing Body) कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में Memorandum of Association तथा Rules and Regulation के वर्तमान

प्रावधानों एवं वांछित संशोधनों को highlight करते हुए निम्न तुलनात्मक तालिकाबद्ध विवरण कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बैठक हेतू प्रेषित नोटिस के साथ संलग्न कर प्रेषित किया गया था :–

प्रस्तावः–

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये गठित/निर्धारित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation एवं सम्बन्धित शासी निकाय (Governing Body) कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) में कतिपय संशोधनों की आवश्यकता है। उक्त वांछित संशोधन करने के लिये उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र हेतु स्थापित Memorandum of Association तथा Rules and Regulation में वर्णित व्यवस्थाओं/प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार विधिवत संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं, जबकि शेष प्रावधान यथावत रहेंगेः–

<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>संशोधन</th></tr>
<tr><td></td><td>संगम ज्ञापन</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन)
सोसाइटी के सभी मामलों का प्रबन्धन महानिदेशक में निहित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, वित्त नियंत्रक और सदस्य सचिव तकनीकी और गैर तकनीकी प्रभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, अपनी समर्थित शक्तियां, कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय से प्राप्त करेंगे।</td><td>बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन)
सोसाइटी के सभी मामलों का प्रबन्धन अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति)/अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून में निहित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, वित्त नियंत्रक और सदस्य सचिव तकनीकी और गैर तकनीकी प्रभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी समर्थित शक्तियां, कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय से प्राप्त करेंगे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.2 कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः–
<table>
<tr><td>(क)</td><td>मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>उपाध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ज)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(झ)</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ञ)</td><td>अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table></td><td>बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.2
कार्यकारी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगेः–
<table>
<tr><td>(क)</td><td>अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, , वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(ङ)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, , शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(च)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>(छ)</td><td>अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, , सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		(ज)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
		(झ)	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ अपर महानिदेशक भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव
3	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.3** आम निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगेः– (क) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जैसा कि अनुच्छेद 8.2 'क से ञ' में वर्णित है। (ख) अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषक/सलाहकार। (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित व्यक्ति। (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित व्यक्ति। (ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमरी, पौड़ी द्वारा नामित व्यक्ति। (च) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित व्यक्ति। (छ) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित व्यक्ति। (ज) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादूनद्वारा नामित व्यक्ति। (झ) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, उत्तराखण्ड द्वारा नामित व्यक्ति।	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.3** शासी निकाय (Governing Body) में **बिन्दु 8.3** के अनुसार शामिल होंगेः– (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सोसाइटी की 'शासी निकाय' के अध्यक्ष होंगे तथा अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून 'शासी निकाय' के उपाध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जैसा कि अनुच्छेद 8.2 'ख से झ' में वर्णित है। (ख) से (झ) तक नामित सदस्य यथावत रहेंगे। संगम ज्ञापन के अन्तर्गत आम सभा के स्थान पर शासी निकाय (Governing Body) अभिप्रेत हैं।	
4	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.4**– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रशासन), सचिवालय एवं मामलों का प्रबन्धन तथा ऐसी बैठकों के अभिलेखों एवं कार्यवृत्त का रख–रखाव करेंगे।	**बिन्दु संख्या 8 (प्रबन्धन) के अन्तर्गत बिन्दु 8.4**– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के अपर महानिदेशक/सदस्य सचिव (शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति)/अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग बैठकों के अभिलेखों एवं कार्यवृत्त का रख–रखाव करेंगे।		
	नियम एवं विनियम			
1	**बिन्दु संख्या 3 (परिभाषायें एवं व्यख्याएं) के अन्तर्गत बिन्दु 3.1**– इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नांकित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थातः– (क) "अधिनियम" से का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 जैसा कि इसके नियमों और विनियमों के साथ संशोधित और उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, अभिप्रेत है। (ख) "वार्षिक आम बैठक" से वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य नामित गतिविधियों को अपनाने और समीक्षा करने के लिये सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक, अभिप्रेत है। (ग) "लागू विधि" से कोई भी संविधि विनियमन, अध्यादेश, नियम, निर्णय, अधिसूचना, समान्य विधि का नियम, आदेश, आज्ञाप्ति (डिक्री), उपविधि, शासनी अनुमोदन, निर्देश, दिशा– निर्देश, आवश्यक या अन्य शासनी प्रतिबन्ध, या कोई समान रूप विचाराधीन मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी प्राधिकरण द्वारा , पूर्वगामी प्रभाव से किसी	**बिन्दु संख्या 3 (परिभाषायें एवं व्यख्याएं) के अन्तर्गत बिन्दु 3.1** में वर्णित खण्ड (क) से (ढ) को यथावत रखते हुये इस क्रम में निम्नवत खण्ड (ण), (त) व (थ) सम्मिलित किये जाते हैंः– (ण) "महानिदेशक/ अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, नियम और विनियम के अन्तर्गत गठित शासी निकाय (Governing Body) के उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष से अभिप्रेत है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून के प्रमुख भी होंगे।" (त) "अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन), उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून, जो गठित समितियों में सदस्य सचिव नामित हैं के स्थान पर अपर महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र/अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य सचिव के रूप में नामित किये जाने होंगे। (थ) "वित्त नियंत्रक, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र देहरादून के कोषाध्यक्ष भी होंगे। संस्था के सभी बैंक खाते कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून (अथवा महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप	

	के कानून के बल वाले, या किसी व्याख्या नीति या प्रशासन द्वारा निर्णय या निर्धारण, अभिप्रेत हैं। (घ) "अध्यक्ष" से नियमों के अनुसार नियुक्त आम सभा और/या कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। (ङ) "कार्यकारिणी समिति" से सोसाइटी के शासकीय निकाय, जिसे नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया है और जिसे नियमों के तहत सोसाइटी का प्रबन्धन सौंपा गया, अभिप्रेत है। (च) "वित्तीय वर्ष" से एक कैलेण्डर वर्ष के 01 अप्रैल से शुरू होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि अभिप्रेत है। (छ) "आम सभा" से संस्था के सभी सदस्यों से समाविष्ट सभा अभिप्रेत है। (ज) "शासकीय प्रतिनिधि" से वे व्यक्ति जिन्हें आम सभा और/या कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में नामित, निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो एवं जो भारत सरकार या भारत में किसी भी राज्य के शासन या अन्य ऐसे पेशेवर संस्थाओं में पदेन क्षमता से सम्बद्ध हों, अभिप्रेत है। (झ) "सदस्य" से नियमों के अनुसार सोसाइटी के आम सभा में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति होगा और जिसकी सदस्यता नियमों के अनुसार समाप्त नहीं की गयी हो, अभिप्रेत है। (ञ) "सदस्य सचिव" से संस्था के सदस्य सचिव से होगा, जिसे प्रत्यायोजित कार्यों का निर्वहन करने के लिये नामित किया गया, अभिप्रेत है। (ट) "ज्ञापन ("मेमोरेंडम")" से सोसाइटी के संगम–ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) अभिप्रेत है। (ठ) "व्यक्ति" से किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति, सिमित या असिमित देयता सोसाइटी, निगम, साझेदारी (चाहे समिति या असिमित), स्वामित्व, या कोई अन्य संस्था, जिसे लागू कानूनों के तहत एक व्यक्ति माना गया हो, अभिप्रेत है। (ड) "नियमों तथा विनियमों" या "नियम" से सोसाइटी के इन नियमों और विनियमों; तथा "नियम" से नियमों और विनियमों के विशिष्ट नियम से अभिप्रेत है। (ढ) "लिखित" या "लिखित रूप में" मुद्रण, लिथोग्राफी, डिजिटल और अन्य तरीके शामिल है।	से संचालित किये जायेंगे।" इसके अतिरिक्त वे वित्तीय प्रमुख व लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे तथा महानिदेशक/अपर महानिदेशक/ सदस्य सचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे। नियम एवं विनियम के अन्तर्गत आम सभा के स्थान पर शासी निकाय (Governing Body) अभिप्रेत हैं।
2	**बिन्दु संख्या 5 (आम सभा का गठन) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5.2–** नियम 4 और नियम 5.1 में किसी भी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित आम सभा को स्थाई पदेन सदस्य होंगे:– (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (ख) प्रमुख सचिव/सचिव ,आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन — उपाध्यक्ष (ग) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (घ) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य (ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन — सदस्य	**बिन्दु संख्या 5 (शासी निकाय का गठन)** के अन्तर्गत बिन्दु 5.1, 5.3 व 5.4 को यथावत रखते हुये बिन्दु संख्या 5.2 में उल्लिखित शासी निकाय (Governing Body) में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं:– (क) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन — अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन — उपाध्यक्ष (ग) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (घ) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य (ङ) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी — सदस्य

	(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(च)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(छ)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(ज)	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(ज)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(झ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	(झ)	अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
	(ञ)	वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ञ)	वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(ट)	अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषक/सलाहकार	सदस्य	(ट)	अध्यक्ष द्वारा नामित एक तकनीकी विशेषज्ञ/सलाहकार	सदस्य
	(ठ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ठ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की, द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(ड)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ड)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(ढ)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमरी, पौड़ी द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ढ)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुमाड़ी, पौड़ी द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(ण)	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(ण)	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई टिहरी द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(त)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(त)	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ	सदस्य
	(थ)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादूनद्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य	(थ)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा नामित अधिकारी /विशेषज्ञ ।	सदस्य
	(द)	अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,, देहरादून	सदस्य सचिव	(द)	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/अपर महानिदेशक भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव
	बिन्दु संख्या 5.1,5.3 व 5.4 यथावत रहेंगे।					
3	**बिन्दु संख्या 11 (आम सभा की बैठकें) 11.1 से 11.4 एवं 11.6 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 11.5 (आम सभा की बैठकें)** अध्यक्ष या समिति के कम से कम आधे सदस्य या इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति में पारित एक प्रस्ताव द्वारा, इन नियमों के तहत अनुमत किसी भी व्यवसाय के संव्यवहार करने के लिये वार्षिक आम बैठक के अलावा कम से कम इक्कीस दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अन्य बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक को असाधारण आम बैठक के रूप में बुलाया जायेगा और इसे क्रमवार क्रमांकित किया जायेगा। **बिन्दु संख्या 11.7** सदस्य व्यक्तिगत रूप से आम बैठकों में भाग ले सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को उनकी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिये विधिवत गठित मुख्तारनामा के माध्यम से नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि एक सदस्य केवल एक व्यक्ति को अपनी ओर से किसी भी बैठक में भाग			**बिन्दु संख्या 11 (आम सभा की बैठकें) 11.1 से 11.4 एवं 11.6 यथावत रहेंगे।** **बिन्दु संख्या 11.5 (शासी निकाय की बैठकें)** अध्यक्ष या समिति के कम से कम आधे सदस्य या इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति में पारित एक प्रस्ताव द्वारा, इन नियमों के तहत अनुमत किसी भी व्यवसाय के संव्यवहार करने के लिये वार्षिक शासी निकाय (Governing Body) बैठक के अलावा कम से कम सात दिनों की स्पष्ट सूचना देकर अन्य बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक को असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठक के रूप में बुलाया जायेगा और इसे क्रमवार क्रमांकित किया जायेगा। **बिन्दु संख्या 11.7** चूंकि शासी निकास (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी को नामित करने का संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में बैठक से पहले अध्यक्ष को इस आशय की सूचना दी जानी		

	लेने के लिये नियुक्त कर सकता है। यह कि ऐसा कोई भी विधिवत नियुक्त प्रतिनिधि किसी भी आम बैठक में केवल एक सदस्य का प्रतिनिधित्व करेगा। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने वाला सदस्य बैठक से पहले ऐसी नियुक्ति के बारे में अध्यक्ष को लिखित में सूचित करेगा। इस तरह के लिखित संचार को सदस्य की उपस्थिति माना जायेगा और इसे उपस्थिति रजिस्टर में अंकित किया जाय। सदस्यों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने के लिये विधिवत नियुक्त व्यक्तियों के पास वही मतदान के अधिकार होंगे जो सदस्य के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर होते।	आवश्यक होगी । अतः बिन्दु संख्या 11.7 पर पूर्व में वर्णित व्यवस्था को निरस्त किया जाता है।
	बिन्दु संख्या 11(क) (बैठक की सूचना) सभी वार्षिक आम बैठकें एवं असाधारण आम बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोडकर कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जाएंगी। किसी भी नाम से बुलाई जाने वाली सभी आम बैठके एक आधिकारिक कार्य दिवस पर आयोजित की जाएंगी।	**बिन्दु संख्या 11 (बैठक की सूचना)** सभी वार्षिक शासी निकाय (Governing Body) की बैठकें एवं असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोडकर कम से कम 07 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जायेगी। किसी भी नाम से बुलाई जाने वाली सभी शासी निकाय की बैठकें एक आधिकारिक कार्य दिवस पर आयोजित की जाएंगी।
4	**बिन्दु संख्या 13 (आम सभा की बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 13.2–** ''यदि महानिदेशक या कार्यकारिणी द्वारा कोई अत्यावश्यक कार्य प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिये आम सभा की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष सभी सदस्यों को परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रस्ताव की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव पर परिचालन द्वारा पारित करने के लिये, कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्य लिखित संकल्प के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित माना जायेगा।	**बिन्दु संख्या 13 (शासी निकाय की बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 13.2** को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:– ''यदि अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति) अथवा उपाध्यक्ष (शासी निकाय)/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा कोई अत्यावश्यक कार्य प्रस्तावित किया जाता है, जिसके लिये शासी निकाय (Governing Body) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष (शासी निकाय) सभी सदस्यों को परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे प्रस्ताव की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव पर परिचालन द्वारा पारित करने के लिये, कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्य लिखित संकल्प के साथ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित माना जायेगा।
5	**बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) –** जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय है, सोसाइटी के मामलों का प्रबन्धन, कार्यकारिणी समिति का सौंपा जायेगा, जो नियमों और विनियमों के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गठित एक सभा है। कार्यकारिणी समिति दिन–प्रतिदिन के मामलों की जानकारी, प्राधिकरण के प्रतिनिधायन के अनुसार महानिदेशक और उनकी नामित दल (टीम) के सौंपेगा।	**बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) –** नियमों और विनियमों के अनुसार सोसाइटी के सदस्यों द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति एक सभा है। जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय है, सोसाइटी के मामलों का प्रबन्धन, कार्यकारिणी समिति को सौंपा जायेगा। कार्यकारिणी समिति दिन–प्रतिदिन के मामलों की जानकारी, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के प्रतिनिधायन के अनुसार अध्यक्ष/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन

बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) के अन्तर्गत 15.1 कार्यकारिणी समिति की संरचनाः–

कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम दस (10) सदस्य और अधिकतम पन्द्रह(15) सदस्य होंगे।

(एक) कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित स्थाई सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(च)	प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(छ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(ज)	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(झ)	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(ञ)	अपर मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी (प्रशासन) उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून	सदस्य सचिव

(दो) उपरोक्तानुसार 15 सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारिणी समिति, अपने पूर्ण विवेक से, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन पेशेवर विशेषज्ञों को, जो आम सभा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं हैं ऐसे नियमों और शर्तों पर सहयोजित कर सकती है, जैसा कार्यकारिणी समिति उचित और ठीक समझे। परन्तु यह कि ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर आम सभा का कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा।

(तीन) यथावत रहेंगे।

विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून और उनकी नामित दल (टीम) के सौंपेगा।

बिन्दु संख्या 15 (कार्यकारिणी समिति) के अन्तर्गत 15.1 कार्यकारिणी समिति की प्रस्तावित संशोधित संरचनाः–

कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम दस (10) सदस्य और अधिकतम पन्द्रह(15) सदस्य होंगे।

(एक) कार्यकारिणी समिति के निम्नलिखित स्थाई सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, , वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(ङ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(च)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(छ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(ज)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, , राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके द्वारा नामित अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी	सदस्य
(झ)	अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ अपर महानिदेशक भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव

(दो) उपरोक्तानुसार 15 सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारिणी समिति, अपने पूर्ण विवेक से, वाणिज्य, प्रबन्धन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन पेशेवर विशेषज्ञों को, जो शासी निकाय, कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं हैं ऐसे नियमों और शर्तों पर सहयोजित कर सकती है, जैसा कार्यकारिणी समिति उचित और ठीक समझे। परन्तु यह कि ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर शासी निकाय का कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। परन्तु

		कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करने की प्रथा को प्रोत्साहित न किया जाय। (तीन) यथावत रहेंगे।
6	**बिन्दु संख्या 17 (पदाधिकारी) के अन्तर्गत बिन्दु 17.1(अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)**—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, अध्यक्ष होंगे और कार्यकारिणी समिति और आम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन उपाध्यक्ष होंगे और उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगें और अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। **17.2 (महानिदेशक/अपर महानिदेशक)** – सोसाइटी के महानिदेशक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और संगठन के प्रमुख होंगे। उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव का पदधारक सोसाइटी का महानिदेशक होगा। प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पदधारक सोसाइटी का अतिरिक्त महानिदेशक होगा। **17.3 (सदस्य सचिव)** – आपदा प्रबन्धन विभाग के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) को सोसाइटी के सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन सहित सोसाइटी के उचित प्रबन्धन के लिये जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करेंगे।	**बिन्दु संख्या 17 (पदाधिकारी) के अन्तर्गत बिन्दु 17.1 अध्यक्ष**– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सोसाइटी की शासी निकाय (Governing Body) **के अध्यक्ष** होंगे और शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जबकि सोसाइटी की **कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष** अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून होंगे। **उपाध्यक्ष**– शासी निकाय (Governing Body) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून उपाध्यक्ष होंगे तथा वे अध्यक्ष (शासी निकाय) की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करेंगें और अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। **17.2 (महानिदेशक)** – उत्तराखण्ड शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग का पदधारक सोसाइटी का महानिदेशक होगा। सोसाइटी के महानिदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के प्रमुख भी होंगे। **अपर महानिदेशक**– उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, का पदधारक सोसाइटी का अपर महानिदेशक होगा। **17.3 (सदस्य सचिव)** – अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन/अपर महानिदेशक को सोसाइटी के सदस्य सचिव (कार्यकारिणी समिति एवं शासी निकाय) के रूप में नामित किया जायेगा। सदस्य सचिव अभिलेखों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन सहित सोसाइटी के उचित प्रबन्धन के लिये जिम्मेदार होगा। सदस्य सचिव महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करेंगे। यदि आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत एक से अधिक अपर सचिव तैनात किये गये हो तो उस स्थिति में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून हेतु सदस्य सचिव का नामांकन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा एक अपर सचिव को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।
7	**बिन्दु संख्या 19 (बैठके, कार्यकारिणी समिति की बैठक का गणपूर्ति/कोरम और उपस्थिति)**	**बिन्दु संख्या 19 (बैठकें, कार्यकारिणी समिति की बैठक का गणपूर्ति/कोरम और उपस्थिति)**

	बिन्दु संख्या 19.1 व 19.3 यथावत रहेंगे। बिन्दु संख्या 19.2 के अन्तर्गत– ''कार्यकारिणी समिति की बैठकें महानिदेशक या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के 50 प्रतिशत (50%) द्वारा कम से कम सात (7) दिनों का नोटिस देकर तथा जिस कार्यवृत्त (एजेण्डा) पर वे चर्चा करना चाहते हैं, का उल्लेख करते हुये, उक्त बैठक बुलायी जा सकती है।'' **बिन्दु संख्या 19.4** – कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उक्त बैठकों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना होता है तथा वे किसी अन्य (प्रॉक्सी) को नियुक्त नही कर सकते हैं।	बिन्दु संख्या 19.1 व 19.3 यथावत रहेंगे। बिन्दु संख्या 19.2 के अन्तर्गत– ''कार्यकारिणी समिति की बैठकें अध्यक्ष/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/ महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून की अध्यक्षता में आहूत की जायेंगी। समिति की बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत (50%) सदस्यों के साथ सात (7) दिनों के नोटिस पर प्रस्तावित विचारणीय बिन्दुओं (एजेण्डा) प्रेषित करते हुये बुलायी जा सकती है।'' **बिन्दु संख्या 19.4**– चूंकि शासी निकास (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु अपर सचिव से अन्यून स्तर के अधिकारी को नामित करने का संशोधन किया गया है। इस सम्बन्ध में बैठक से पहले अध्यक्ष को सूचित करना आवश्यक होगा। अतः बिन्दु संख्या 19.4 पर पूर्व में वर्णित व्यवस्था को निरस्त किया जाता है।
8	**बिन्दु संख्या 21(कार्यकारिणी समिति द्वारा मतदान और कार्य संचालन) के अन्तर्गत बिन्दु 21.5 के अन्तर्गत–** ''यदि कोई अत्यावश्यक कार्य महानिदेशक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है जिसके लिये कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष सभी सदस्यों को प्रस्तावित परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे मद की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव को परिचालन द्वारा पारित करने के लिये सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत (50%) का लिखित रूप में संकल्प के पक्ष में मतदान होने चाहिए। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित हुआ माना जायेगा।''	**बिन्दु संख्या 21(कार्यकारिणी समिति द्वारा मतदान और कार्य संचालन) के अन्तर्गत बिन्दु 21.5 के अन्तर्गत–** ''यदि कोई अत्यावश्यक कार्य अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति)/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/महानिदेशक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसके लिये कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो अध्यक्ष (कार्यकारिणी समिति) सभी सदस्यों को प्रस्तावित परिणामी प्रस्तावों के साथ ऐसे मद की एक लिखित सूचना परिचालित कर सकता है। किसी भी प्रस्ताव को परिचालन द्वारा पारित करने के लिये सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत (50%) का लिखित रूप में संकल्प के पक्ष में मतदान होने चाहिए। ऐसा संकल्प सदस्यों से वास्तविक अनुमोदन प्राप्त होने के अन्तिम दिन के बाद तथा जिस दिन सदस्य सचिव द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये जाते हैं कि इसे पारित किया गया है, पारित हुआ माना जायेगा।''
9	**बिन्दु संख्या 22 (कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु 22.1 (घ–xxv)**– ''सोसाइटी की गतिविधियों के संचालन के लिये महानिदेशक को ऐसी शक्तियां सौंपना जो वह उचित समझे।'' **बिन्दु 22.1 (घ–xxxii)** – ''महानिदेशक की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिये चयन, नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों, सेवा की शर्तों और प्रक्रिया को विनियमित करना।''	**बिन्दु संख्या 22 (कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कार्य) के अन्तर्गत बिन्दु 22.1 (घ–xxv)**– ''सोसाइटी की गतिविधियों के संचालन के लिये अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक को ऐसी शक्तियां सौंपना जो कार्यकारिणी समिति उचित समझे।'' **बिन्दु 22.1 (घ–xxxii)**– ''अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक की उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिये चयन, नियुक्ति, शक्तियों, कार्यों, सेवा की शर्तों और प्रक्रिया को विनियमित करना।'' **बिन्दु 22.1 (घ)** में वर्णित खण्ड (i) से (xxiv) व (xxvi) से (xxxi) एवं (xxxiii) को यथावत रखते हुये इस

		क्रम में निम्नवत खण्ड (xxxiv) को सम्मिलित किया जाता है:– उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के सुचारू संचालन हेतु सामग्री क्रय, सेवाओं की अधिप्राप्ति (परामर्शी एवं क्रियान्वयन संस्थाओं/फर्म अथवा व्यक्तियों) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर समिति के पूर्व अनुमोदन के साथ सहयोजित की जा सकती है। परन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किया जा सका हो तो महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे सहयोजनों के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति की प्रथम आगामी बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सहयोजन के सम्बन्ध में एक वर्ष से अधिक की अवधि होने पर शासी निकाय (Governing Body) का कार्योत्तर अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा। परन्तु कार्योत्तर अनुमोदन/अनुसमर्थन प्राप्त करने की प्रथा को प्रोत्साहित न किया जाय।
10	**बिन्दु संख्या 24 (महानिदेशक की शक्तियां और कार्य)** **बिन्दु संख्या 24 के खण्ड (छ)**–"समाज के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्त, कानून, प्रबन्धन और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) के क्षेत्र में पेशेवरों को नियुक्त करना।" बिन्दु (क) से (च) एवं (ज) व (झ) यथावत रहेंगे।	**बिन्दु संख्या 24 (अध्यक्ष– कार्यकारिणी समिति /महानिदेशक की शक्तियां और कार्य)** **बिन्दु संख्या 24 के खण्ड (छ)**–"उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के दिन–प्रतिदिन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिये वित्त, कानून, प्रबन्धन और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आदि के क्षेत्र में पेशेवरों को नियुक्त करना।" बिन्दु (क) से (च) एवं (ज) व (झ) यथावत रहेंगे।
11	**बिन्दु संख्या 26 (बैंक खाता और वित्त) के अन्तर्गत बिन्दु 26.1** – "संस्था के सभी बैंक खाते कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेंगे जबकि कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।" **बिन्दु 26.4** –"संस्था के खातों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष महानिदेशक और कार्यकारिणी समिति की सलाह पर आम सभा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी।"	**बिन्दु संख्या 26 (बैंक खाता और वित्त) के अन्तर्गत बिन्दु 26.1** – "संस्था के सभी बैंक खाते वित्त नियंत्रक, आपदा प्रबन्धन विभाग/ कोषाध्यक्ष एवं महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून (अथवा महानिदेशक द्वारा नामित अधिकारी) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जायेंगे जबकि कार्यकारिणी समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।" **बिन्दु 26.4** –"संस्था के खातों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष वित्त नियंत्रक की सलाह पर अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति/महानिदेशक उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायेगी।"

उक्त प्रस्तावित एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करने के उपरान्त सहमति प्रदान की गई तथा उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश दिये गये:–

1. यू.एल.एम.एम.सी. के बायलॉज के Rules and Regulation के बिन्दु संख्या 11.5 एव 11–क के अनुसार– *शासी निकाय (Governing Body) की बैठकें एवं असाधारण शासी निकाय (Extra Ordinary Governing Body) बैठकें, नोटिस की तारीख और बैठक की तारीख को छोडकर कम से कम 21 दिनों की स्पष्ट सूचना देकर बुलाई जाएंगी।*

   उक्त प्रावधानों में 21 दिनों के स्थान पर 07 दिनों तक ही सीमित किया जाय। शेष यथावत रहेगा।

2. शासी निकाय (Governing Body) एवं कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) के सदस्यों सम्बन्ध में – प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर सचिव से अन्यून स्तर) के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (अपर सचिव से अन्यून स्तर) लिखा जाय।इस प्रस्ताव को भी संशोधन में शामिल कर लिया गया है ।

3. शेष सभी प्रस्तावित संशोधनों पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

एजेण्डा संख्या–2: यू.एल.एम.एम.सी. में प्रथम चरण हेतु स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष रिक्त शेष पदों के सापेक्ष वेतन/मानदेय के ढांचे पर विचार–विमर्श।

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं सुचारू संचालन के लिये प्रथम चरण हेतु स्वीकृत 50 पदों के सापेक्ष रिक्त शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आहूत कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिनांक 20.05.2024 को किया गया था। बैठक में सम्बन्धित पदों हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष प्रस्तावित अर्हता पर बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी। परन्तु प्रत्येक प्रस्तावित पद के सापेक्ष वेतन/मानदेय के ढांचे का पुनर्गठन कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक प्रस्तावित पद के सापेक्ष वेतन/मानदेय के ढांचे का पुनर्गठन कर निम्न तुलनात्मक तालिकाबद्ध विवरण कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बैठक हेतु उपलब्ध कराया गया था:–

Proposed Entry Level Salary Structure for ULMMC Staff				
Name of Post	**Chief Consultant** (Deputation/ Contractual)	**Principal Consultant** (Deputation/ Contractual)	**Superintending Engineer** (Deputation)	**Executive Engineer** (Deputation)
No. of Post	**1**	**1**	**1**	**2**
Previous Eligibility and salary as per G.O.	PG+15yr experience 250000	PG+10yr experience 200000	**B.Tech. +15 yrs experience** (on deputation)/Salary as per Departmental scale	**B.Tech. +12 yrs experience** (on deputation) /Salary as per Departmental scale
Eligibility & Salary after GB approval	PG+12 yr or B.Tech. +15yr Upto 250000 (negotiable)	PG+10 yr or B.Tech. +12yr Upto 200000 (negotiable)		
Proposed Salary Range	**200000- 250000**	**150000- 200000**		
Age	**<65 years (contractual)/ <60 years (deputation)**	**<60 years (contractual/ deputation)**		

offered Salary		**₹ 2,00,000**	**₹ 1,50,000**	-	-
Yearly increment	**after completing 1 year**	₹ 2,05,000	₹ 1,55,000		
	after completing 2 year	₹ 2,10,000	₹ 1,60,000		
	after completing 3 year	₹ 2,15,000	₹ 1,65,000		
	after completing 4 year	₹ 2,20,000	₹ 1,70,000		
	after completing 5 year	₹ 2,25,000	₹ 1,75,000		
	after completing 6 year	₹ 2,30,000	₹ 1,80,000		
	after completing 7 year	₹ 2,35,000	₹ 1,85,000		

after completing 8 year	₹ 2,40,000	₹ 1,90,000		
after completing 9 year	₹ 2,45,000	₹ 1,95,000		
after completing 10 year	₹ 2,50,000	₹ 2,00,000		

Note:-1) The experience will be counted after obtaining essential qualification given in the advertisement.
2) The experience must be in relevant field only.

Proposed Entry Level Salary Structure for ULMMC Staff

Name of Post		Geologist (Departmental /Contractual)	Hydrologist (Departmental / Contractual)	Structural Engineer (Contractual)	Earthquake Engineer (Contractual)	Design Engineer (Geotechnical / Structural)	Social Community Development	Environmental Expert (Contractual)
No. of Post		1	1	1	1	3	1	1
Eligibility & Salary as per G.O.		PG+ 5yr exp.	PG+ 10yr exp.	PG+ 10yr exp.	PG+ 10yr exp.	PG+ 5yr exp.	PG+ 8yr exp.	PG+ 8yr exp.
		80000	120000	120000	120000	90000	80000	80000
Eligibility & Salary after GB approval		PG	PG	PG	PG	PG	-	-
	Entry	35000-55000	35000-55000	35000-55000	35000-55000	35000-55000		
	Middle	60000-100000	60000-100000	60000-100000	60000-100000	60000-100000		
	Higher	110000-150000	110000-150000	110000-150000	110000-150000	110000-150000		
Proposed Qualification & Salary Range		**PG+ 5yr exp.**	**PG+ 5yr exp. or Btech + 7yr exp.**	**PG + 5yr exp.**	**PG + 5yr exp.**	**PG + 5yr exp.**	**PG+ 5yr exp.**	**PG+ 5yr exp.**
		65000-80000	**65000-80000**	**65000-80000**	**65000-80000**	**65000-80000**	**65000-80000**	**65000-80000**

offered Salary		₹ 65,000	₹ 65,000	₹ 65,000	₹ 65,000	₹ 65,000	₹ 65,000	₹ 65,000
Yearly increment	after completing 1 year	₹ 66,500	₹ 66,500	₹ 66,500	₹ 66,500	₹ 66,500	₹ 66,500	₹ 66,500
	after completing 2 year	₹ 68,000	₹ 68,000	₹ 68,000	₹ 68,000	₹ 68,000	₹ 68,000	₹ 68,000
	after completing 3 year	₹ 69,500	₹ 69,500	₹ 69,500	₹ 69,500	₹ 69,500	₹ 69,500	₹ 69,500
	after completing 4 year	₹ 71,000	₹ 71,000	₹ 71,000	₹ 71,000	₹ 71,000	₹ 71,000	₹ 71,000
	after completing 5 year	₹ 72,500	₹ 72,500	₹ 72,500	₹ 72,500	₹ 72,500	₹ 72,500	₹ 72,500
	after completing 6 year	₹ 74,000	₹ 74,000	₹ 74,000	₹ 74,000	₹ 74,000	₹ 74,000	₹ 74,000
	after completing 7 year	₹ 75,500	₹ 75,500	₹ 75,500	₹ 75,500	₹ 75,500	₹ 75,500	₹ 75,500
	after completing 8 year	₹ 77,000	₹ 77,000	₹ 77,000	₹ 77,000	₹ 77,000	₹ 77,000	₹ 77,000

after completing 9 year	₹ 78,500	₹ 78,500	₹ 78,500	₹ 78,500	₹ 78,500	₹ 78,500	₹ 78,500
after completing 10 year	₹ 80,000	₹ 80,000	₹ 80,000	₹ 80,000	₹ 80,000	₹ 80,000	₹ 80,000

Note:-1) The experience will be counted after obtaining essential qualification given in the advertisement.
2) The experience must be in relevant field only.

Proposed Entry Level Salary Structure for ULMMC Staff

Name of Post	IT Expert (Departmental/ Contractual)	Quality Control Engineer	Documentation Expert (Contractual)	Manager-Office Management (Contractual)	Data Entry Operator (Contractual)
No. of post	1	2	1	1	2
Eligibility & Salary as per G.O.	B.Tech. + 4yr exp.	B.Tech. + 8 yr exp.	PG/Masters in Management with 8 years exp	Graduate with 8 years exp	Graduation with 3 yr exp.
	60000	50000	75000	75000	25000
Eligibility & Salary after GB approval	-	-	Graduation + 5 yr exp. or PG with 2 yr upto 75000	-	-
Proposed Qualification & Salary Range	**Btech + 3yr exp.**	**Btech + 5yr exp.**	**Graduation + 5 yr exp. or PG with 2 yr**	**Post Graduation+5 yr or Graduation + 8 yr exp.**	**same as before**
	50000-60000	**40000-50000**	**60000- 75000**	**60000- 75000**	**20000-25000**

	offered Salary	**₹ 50,000**	**₹ 40,000**	**₹ 60,000**	**₹ 60,000**	**₹ 20,000**
Yearly increment	after completing 1 year	₹ 51,000	₹ 41,000	₹ 61,500	₹ 61,500	₹ 20,500
	after completing 2 year	₹ 52,000	₹ 42,000	₹ 63,000	₹ 63,000	₹ 21,000
	after completing 3 year	₹ 53,000	₹ 43,000	₹ 64,500	₹ 64,500	₹ 21,500
	after completing 4 year	₹ 54,000	₹ 44,000	₹ 66,000	₹ 66,000	₹ 22,000
	after completing 5 year	₹ 55,000	₹ 45,000	₹ 67,500	₹ 67,500	₹ 22,500
	after completing 6 year	₹ 56,000	₹ 46,000	₹ 69,000	₹ 69,000	₹ 23,000
	after completing 7 year	₹ 57,000	₹ 47,000	₹ 70,500	₹ 70,500	₹ 23,500
	after completing 8 year	₹ 58,000	₹ 48,000	₹ 72,000	₹ 72,000	₹ 24,000
	after completing 9 year	₹ 59,000	₹ 49,000	₹ 73,500	₹ 73,500	₹ 24,500
	after completing 10 year	₹ 60,000	₹ 50,000	₹ 75,000	₹ 75,000	₹ 25,000

Note:-1) The experience will be counted after obtaining essential qualification given in the advertisement.
2) The experience must be in relevant field only.

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून के अन्तर्गत भर्ती हेतु रिक्त 21 पदों का विवरण निम्नानुसार है:—

Details of Posts to be filled by deputation/contractual			
S. No.	**Name of Post**	**No of Positions**	**Essential Qualifications (EQ) & Desirable Qualifications (DQ) / Age/ salary**
1	Chief Consultant	1	**A. Essential Qualifications** MSc/ MSc Tech/ M Tech in Geotechnical Engineering/Soil Mechanics/ Soil Dynamics / Rock Mechanics/ Geology/ Applied Geology/ Foundation Engineering with minimum 12 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works or B. Tech in Civil Engineering with minimum 15 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works. **B. Desirable Qualifications:** • Work experience in Landslide mitigation and Slope Stabilization work in Himalayan terrain, worked as Team Leader/Project Leader in Projects of Govt. or reputated organizations or equivalents • PhD candidate will be given preference **C. Age Limit:** not more than 65 years (contractual) and <60 years (on deputation) **D. Salary:** as per departmental scale (on deputation)/Rs. 200000-250000 (on contractual basis) as per govt norms for retired personnels.
2	Principal Consultant	1	**A. Essential Qualifications** MSc/ MSc Tech/ M Tech in Geotechnical Engineering/Soil Mechanics/ Soil Dynamics / Rock Mechanics/ Geology/ Applied Geology/ Foundation Engineering with minimum 10 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works or B. Tech in Civil Engineering with minimum 12 years of experience mainly in landslide mitigation and slope stabilization and related works. **B. Desirable Qualifications:** • Work experience in Landslide mitigation and Slope Stabilization work in Himalayan terrain, worked as Team Leader/Project Leader in Projects of Govt. or reputated organizations or equivalents • PhD candidate will be given preference **C. Age Limit:**<60 years **D. Salary:** Rs. 150000- 200000 (contractual)/ as per departmental scale (on deputation)
3	Superintending Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** B. Tech in Civil Engineering with minimum 15 years of experience in slope stabilization/ protection work/ landslide mitigation and related work **B. Desirable Qualifications:** • Working experience in Himalayan terrain

			• Worked in the post of Superintending Engineer in Govt. or reputed organizations or equivalent. **C. Age limit:**<60 years (on deputation) **D. Salary:** as per departmental scale (on deputation)
4	Executive Engineer	2	**A. Essential Qualifications:** B. Tech in Civil Engineering with minimum 10 years of working experience in slope stabilization/protection work/landslide mitigation and related work **B. Desirable Qualifications:** • Working experience in Himalayan terrain • Worked in the post of Executive Engineer level officer in Govt. or reputed organizations or equivalent. **C. Age limit:**< 60 years **D.Salary:** as per departmental scale (on deputation)
5	Hydrologist	1	**A. Essential Qualification:** BTech in Civil Engineering with minimum 7 years' experience with main focus on hydrological studies. or Masters in Hydrology, Water Resources Engineering, Environmental Science, Geology or related fields with minimum 5 years' experience in hydrological studies. **B. Desired Qualifications:** Experience in hydro-geological work, hydrological data analysis and interpretation, water quality, rainfall-runoff modeling, water flow analysis and related work **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000 (contractual) / as per departmental scale (on deputation)
6	IT Expert	1	**Essential Qualification:** BTech (IT/Comp Sc.)/MCA with minimum 3 years of experience in handling servers and website management **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 50000- 60000 (contractual)/as per departmental scale (on deputation)
7	Geologist	1	**A. Essential Qualifications:** MSc/MSc Tech./M. Tech. in Geology/Applied Geology/Geological Technology **B. Desirable Qualifications:** • 5 years of work experience in the area of slope stability in hilly terrains. • PhD/Research/Projects/Professional experience will be counted in relevant field. **C. Age limit:** < 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000 (contractual)/as per departmental scale (on deputation)
Details of Contractual Posts			
8	Structural Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** Masters in Structural Engineering with minimum 5 yearsof experience in structural designing. **B. Desirable Qualifications:**

			Working experience in structural designs for landslide related projects and similar works. **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary**: Rs. 65000- 80000
9	Design Engineer	3	**A. Essential Qualifications:** M. Tech. in Geotechnical Engineering/ Structural Engineering or equivalent with minimum 5 years of experience. **B. Desirable Qualifications:** Working experience in the field of Geotechnical Investigations, slope stability analysis, designing of structures related with landslide mitigation **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary**: Rs. 65000- 80000
10	Earthquake Engineer	1	**A. Essential Qualifications:** M.Sc Tech/ M.Tech. in Earthquake Engineering/Geotechnical Earthquake Engineering/ Geophysics or equivalent with minimum 5 years of working experience. **B. Desirable Qualifications:** Work experience in seismology/seismic data, processing and interpretation, earthquake building design and analysis of structure and relevant fields. **C. Age limit:**< 60 years **D. Salary:** Rs. 65000- 80000
11	Quality Control Engineers	2	**Essential Qualifications:** Diploma in Civil Engineering with minimum 5 years of experience in quality assurance and testing. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 40000- 50000
12	Environmental Expert	1	**Essential Qualifications:** PG in Environment Sciences with minimum 5 years of experience in environment and forest land transfer activities. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 65000- 80000
13	Social/ Community Development Expert	1	**Essential Qualifications:** PG in social Sciences/MSW with minimum 5 years of experience in the field of land acquisition and resettlement through RFCTLAR &R act. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 65000 - 80000
14	Documentation Expert	1	**Essential Qualifications:** Bachelor in Science/Technology/Engineering or equivalent with 5 years of experience in report writing and documentations activities or Masters in any discipline with 2 years of experience in report writing and documentations activities. **Age limit:** < 60 years **Salary:** Rs. 60000 - 75000
15	Manager Office Management	1	**Essential Qualifications:**

			• Post Graduate in any discipline with minimum 5 years of experience or Graduate with minimum 8 years of experience. • Experience in office management with preferred for good communication skill in English and Hindi. **Age limit:** < 60 years **Salary:**Rs. 60000 - 75000
16	Data Entry Operator	2	**Essential Qualifications:** Graduate with minimum 3 years of experience (good english and hindi typing preferred). **Age limit:** < 60 years **Salary** Rs. 20000- 25000
	Total	**21**	

उक्त प्रस्तावित एजेण्डा पर विस्तारपूर्वक विचार–विमर्श करने के उपरान्त निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. संशोधित वेतन/मानदेय के ढांचे पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी परन्तु प्रस्तावित वार्षिक वृद्धि न्यून प्रतीत होती है।
2. समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि एक अच्छे मानव संसाधन विकास की अवधारणा के अन्तर्गत संस्था में कार्य करने वाले अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन/मानदेय में उचित वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत में) अवश्य दी जाय। वार्षिक वृद्धि को स्वीकृत करने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन अधिकृत होंगे। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, यू.एल.एम.एम.सी. के कार्मिकों द्वारा सम्पादित कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने हेतु एक आंतरिक समिति का गठन भी कर सकते हैं।
3. समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. में उक्त रिक्त शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतु विज्ञापन किया जा सकता है।

एजेण्डा संख्या–3:–

अध्यक्ष की सहमति से अन्य आवश्यक बिन्दु–रिक्त।

निर्देशित किया गया कि उपरोक्त संशोधन/प्रावधान शासी निकाय (Governing Body) की आगामी बैठक में अनुसमर्थन प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत किये जायें।

अन्त में सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन/
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति,
यू.एल.एम.एम.सी.,देहरादून

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) उत्तराखण्ड, देहरादून।

6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या–/ 249/08/यू.एल.एम.एम.सी./2024–25 देहरादून, दिनांक 05 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, ऊर्जा/शहरी विकास/सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धनकेन्द्र, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।
5. निदेशक, यू0एल0एम0एम0सी0, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
6. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
7. गार्ड फाईल।

03.09.24

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग/
महानिदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन
न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।